EMPOWER IAS
The Power To Pursue Your Dreams

THE HINDU
INDIA'S NATIONAL NEWSPAPER SINCE 1878

Daily News Analysis

# The Hindu Important News Articles & Editorial For UPSC CSE

## Thursday, 18 July , 2024

## Edition: International Table of Contents


| | |
|---|---|
| Page 03<br>Syllabus : : GS 2 : सामाजिक न्याय | केंद्र ने राज्यों से यह सुनिश्चित करने को कहा कि समलैंगिक समुदाय को जेलों में समान अधिकार मिलें |
| Page 06<br>Syllabus : GS 2 : भारतीय राजव्यवस्था | राज्य अनुसूचित जातियों की सूची में छेड़छाड़ नहीं कर सकते : सुप्रीम कोर्ट |
| Page 10<br>Syllabus : GS 2 : भारतीय राजव्यवस्था | महिलाओं के राजनीतिक प्रतिनिधित्व पर |
| Page 07<br>Syllabus : GS 2 : अंतर्राष्ट्रीय संबंध | IPEF इंडिया द्वारा स्वच्छ, निष्पक्ष अर्थव्यवस्था समझौते पर हस्ताक्षर किए जाने की संभावना |
| River In News | तिज़ू नदी |
| Page 08 : संपादकीय विश्लेषण:<br>Syllabus : GS: 3 : भारतीय अर्थव्यवस्था - संसाधनों के जुटाव से संबंधित मुद्दे | कर हस्तांतरण मानदंड के रूप में अंतर-पीढ़ीगत समानता |
| Mapping | Topic:<br>प्रायद्वीपीय नदी प्रणाली |

## Page 03 : GS 2 : Social Justice

गृह मंत्रालय ने राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को जेलों में LGBTQ+ समानता सुनिश्चित करने, सेवाओं तक पहुंच और मुलाकात के अधिकारों में भेदभाव को दूर करने का निर्देश दिया।

# Centre asks States to ensure that queer community gets equal rights in prisons

**S. Vijay Kumar**
CHENNAI

The Centre has asked States/Union Territories to ensure that members of the queer community (LGBTQ+) get equal rights in prison and there is no discrimination in access to goods and services, especially prison visitation rights.

In a note to Home Secretaries and Heads of Prisons, the Ministry of Home Affairs said it had come to the notice of the Ministry that members of the queer community (LGBTQ+) were often discriminated against because of their gender identity or sexual orientation and faced violence and disrespect.

Referring to the Model Prison Manual, 2016, the MHA said "every prisoner shall be allowed reasonable facilities for seeing or communicating with, his/her family members, relatives, friends and legal advisers for the preparation of an appeal or for procuring bail or for arranging the management of his/her property and family affairs."

Also, the inmate should be allowed to have interviews with his/her family members, relatives, friends and legal advisers once in a fortnight.

The number of persons who may interview a prisoner at one time should ordinarily be limited to three. Interviews with female prisoners should, if practicable, take place in the female enclosure/ward. "It is reiterated that these provisions equally apply to the members of queer community and they can meet a person of their choice without any discrimination or judgement."

The MHA asked the prison authorities to sensitise the concerned officials at all levels to ensure that all persons were treated equally in a fair and just manner and no person, especially those belonging to the queer community, were discriminated against in any manner whatsoever.

**LGBTQ क्या है?**

- LGBTQ एक प्रारंभिक शब्द है जिसका अर्थ है लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल और ट्रांसजेंडर। 1990 के दशक से इस्तेमाल में आने वाला प्रारंभिक शब्द, साथ ही इसके कुछ सामान्य रूप, कामुकता और लिंग पहचान के लिए एक छत्र शब्द के रूप में कार्य करते हैं।

**न्याय और सामाजिक सेवाओं तक पहुँचने में LGBTQ+ व्यक्तियों के सामने आने वाली चुनौतियाँ:**

- न्याय और सामाजिक सेवाओं तक पहुँचने में LGBTQ+ व्यक्तियों के सामने आने वाली चुनौतियाँ: कानूनी भेदभाव: कई देशों में LGBTQ+ व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए व्यापक भेदभाव-विरोधी कानूनों का अभाव है, जिसके कारण कानूनी कार्यवाही में पक्षपातपूर्ण व्यवहार और सेवाओं से इनकार किया जाता है।
- **सामाजिक कलंक और पक्षपात:** गहरे सामाजिक पूर्वाग्रहों के कारण अक्सर LGBTQ+ व्यक्तियों को सेवा प्रदाताओं से शत्रुता, निर्णय और अनिच्छा का सामना करना पड़ता है, जिससे न्याय और सेवाओं तक उनकी पहुँच में बाधा आती है।
- **जागरूकता और संवेदनशीलता की कमी:** कानूनी और सामाजिक सेवा प्रदाता LGBTQ+ व्यक्तियों के सामने आने वाली अनूठी चुनौतियों को समझने और उनका समाधान करने के लिए पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित नहीं हो सकते हैं, जिसके कारण अपर्याप्त सहायता मिलती है।
- **स्वास्थ्य सेवा में बाधाएँ:** स्वास्थ्य सेवा सेटिंग्स में भेदभाव और समझ की कमी LGBTQ+ व्यक्तियों को आवश्यक चिकित्सा और मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँचने से रोकती है।

- **वित्तीय बाधाएँ:** कार्यस्थल पर भेदभाव या कानूनी मान्यता की कमी के कारण आर्थिक हाशिए पर होने से कानूनी प्रतिनिधित्व और सामाजिक समर्थन के लिए संसाधन सीमित हो सकते हैं।
- **आगे की राह: कानूनी सुधार:** जीवन के सभी क्षेत्रों में LGBTQ+ अधिकारों की रक्षा के लिए समावेशी भेदभाव-विरोधी कानूनों और नीतियों को लागू करना और लागू करना।
- **प्रशिक्षण और संवेदनशीलता:** समावेशी और सम्मानजनक सेवा वितरण सुनिश्चित करने के लिए LGBTQ+ मुद्दों पर कानूनी और सामाजिक सेवा पेशेवरों के लिए अनिवार्य प्रशिक्षण प्रदान करें।
- **सामुदायिक आउटरीच:** LGBTQ+ सामुदायिक केंद्र और सहायता नेटवर्क स्थापित करें ताकि उनकी ज़रूरतों के हिसाब से वकालत, कानूनी सहायता और सामाजिक सेवाएँ प्रदान की जा सकें।
- **स्वास्थ्य सेवा पहुँच:** सुनिश्चित करें कि स्वास्थ्य सेवा प्रदाता LGBTQ+ स्वास्थ्य सेवा आवश्यकताओं में प्रशिक्षित हों और चिकित्सा सेटिंग्स में समावेशी प्रथाओं को बढ़ावा दें।
- **सार्वजनिक जागरूकता:** कलंक से निपटने, LGBTQ+ अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और समाज और सेवा प्रदाताओं के बीच स्वीकृति को बढ़ावा देने के लिए अभियान शुरू करें।

## UPSC Mains PYQ : 2018

**Ques : 'भारत में महिला आंदोलन ने निचले सामाजिक स्तर की महिलाओं के मुद्दों को संबोधित नहीं किया है।' अपने विचार की पुष्टि करें।**

## Page 06 : GS 2 : Indian Polity : Judiciary

सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत राज्यों को अनुसूचित जातियों की सूची में संशोधन करने का अधिकार नहीं है।

- यह मामला बिहार सरकार की अधिसूचना से उत्पन्न हुआ, जिसमें तांती-तंतवा के अत्यंत पिछड़े वर्ग (ईबीसी) को पान/सावासी की अनुसूचित जाति में विलय कर दिया गया, जिससे ईबीसी सदस्यों को एससी लाभों का दावा करने की अनुमति मिल गई।
- न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और पी.के. मिश्रा ने स्पष्ट किया कि एससी सूची में कोई भी बदलाव संसद द्वारा किया जाना चाहिए, राज्यों द्वारा नहीं।
- न्यायालय ने 2015 की बिहार अधिसूचना को अवैध और राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र से बाहर घोषित किया।
- इसने इस बात पर जोर दिया कि भले ही राज्य आयोगों द्वारा सिफारिश की गई हो, ऐसे परिवर्तन एससी सूची की अखंडता की रक्षा करने वाले संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं।

**अनुच्छेद 341:**

- भारतीय संविधान का अनुच्छेद 341 अनुसूचित जातियों (एससी) के प्रावधानों से संबंधित है। यह भारत के राष्ट्रपति को सार्वजनिक अधिसूचना के माध्यम से प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में अनुसूचित जातियों के रूप में मानी जाने वाली जातियों, नस्लों या जनजातियों को निर्दिष्ट करने का अधिकार देता है।
- इस संवैधानिक प्रावधान का उद्देश्य ऐतिहासिक रूप से हाशिए पर पड़े समुदायों के अधिकारों की रक्षा करना और उनके प्रतिनिधित्व तथा सकारात्मक कार्रवाई कार्यक्रमों तक उनकी पहुँच सुनिश्चित करके उनके कल्याण को बढ़ावा देना है।

**एससी सूची में संशोधन/परिवर्तन की प्रक्रिया**

- **अनुसूचित जाति सूची में संशोधन/परिवर्तन की प्रक्रिया:**
  - **आरंभ और जांच:** कोई राज्य सरकार अनुसूचित जाति सूची में किसी समुदाय को शामिल करने या बाहर करने का प्रस्ताव करती है, जिसकी सामाजिक न्याय और अधिकारिता

# States cannot tinker with the Scheduled Castes List, says SC

**The Hindu Bureau**
NEW DELHI

The Supreme Court has held that the States cannot tinker with the Scheduled Castes List notified under Article 341 of the Constitution.

"Any inclusion or exclusion of any caste, race or tribe or part of or group within the castes, races or tribes has to be, by law, made by the Parliament, and not by any other mode or manner," a Bench of Justices Vikram Nath and P.K. Mishra said while clarifying on the law.

The judgment by the top court came in a challenge by Dr. Bhim Rao Ambedkar Vichar Manch, Patna, to a July 1, 2015 notification issued by the Bihar government, on the basis of the recommendation of the State Backward Classes Commission to merge the Extremely Backward Class (EBC) of Tanti-Tantwa with the Scheduled Caste of Pan/Sawasi in the Scheduled Castes List. The merger would enable the Tanti-Tantwa to claim the benefits of Scheduled Castes.

Justice Nath, who authored the judgment, pronounced the 2015 resolution as "patently illegal and erroneous".

"The State government had no competence/authority/power to tinker with the lists of Scheduled Castes published under Article 341 of the Constitution," Justice Nath concluded in the July 15 verdict.

The court said the State Backward Commission, in the first place, had jurisdiction to recommend the joining of a caste or group with a notified Scheduled Caste community.

"Even if it makes such a recommendation, right or wrong, the State has no authority to proceed to implement the same when it was fully aware that the Constitution does not permit it to do so," Justice Nath observed.

मंत्रालय द्वारा जांच की जाती है।
- फिर प्रस्ताव का सामाजिक-आर्थिक कारकों और ऐतिहासिक आंकड़ों के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है, जिसमें भारत के महापंजीयक से इनपुट भी शामिल होते हैं।

- **विशेषज्ञ परामर्श और कैबिनेट की मंजूरी:** राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (एनसीएससी) प्रस्ताव पर विशेषज्ञ सिफारिशें प्रदान करता है।
  - इसके बाद कैबिनेट एनसीएससी की सिफारिशों और अन्य कारकों पर विचार करते हुए प्रस्ताव की समीक्षा करता है और संशोधनों के लिए मंजूरी देता है।
- **संसदीय प्रक्रिया:** संसद में एक संवैधानिक संशोधन विधेयक पेश किया जाता है, जिसमें अनुसूचित जाति सूची में प्रस्तावित परिवर्तनों का विवरण होता है।
  - इस विधेयक के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है, यानी दोनों सदनों में उपस्थित और मतदान करने वाले कुल सदस्यों का बहुमत, साथ ही प्रत्येक सदन में कुल सदस्यों का बहुमत।
- **राष्ट्रपति की स्वीकृति और कार्यान्वयन:** दोनों सदनों द्वारा पारित होने के बाद, विधेयक को राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति दिए जाने के बाद, अनुसूचित जाति सूची में संशोधन आधिकारिक रूप से लागू हो जाते हैं।

**अनुसूचित जाति सूची में शामिल किए जाने के मानदंड:**
- अस्पृश्यता की पारंपरिक प्रथा से उत्पन्न अत्यधिक सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक पिछड़ापन।

**भारत के महापंजीयक**
- भारत के महापंजीयक की स्थापना 1961 में गृह मंत्रालय के अधीन भारत सरकार द्वारा की गई थी।
- यह भारत की जनगणना और भारतीय भाषाई सर्वेक्षण सहित भारत के जनसांख्यिकीय सर्वेक्षणों के परिणामों की व्यवस्था, संचालन और विश्लेषण करता है।
- रजिस्ट्रार का पद आमतौर पर संयुक्त सचिव के पद पर कार्यरत एक सिविल सेवक के पास होता है।

## UPSC Prelims PYQ : 2022

**Ques : यदि किसी विशेष क्षेत्र को भारत के संविधान की पांचवीं अनुसूची के अंतर्गत लाया जाता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन इसके परिणाम को सबसे बेहतर ढंग से दर्शाता है?**

(a) इससे आदिवासी लोगों की भूमि को गैर-आदिवासी लोगों को हस्तांतरित होने से रोका जा सकेगा।
(b) इससे उस क्षेत्र में एक स्थानीय स्वशासी निकाय का निर्माण होगा।
(c) इससे वह क्षेत्र केंद्र शासित प्रदेश में परिवर्तित हो जाएगा।
(d) ऐसे क्षेत्र वाले राज्य को विशेष श्रेणी का राज्य घोषित किया जाएगा।

**Ans: (a)**

## Page : 10 : GS 2 : Indian Polity

संसदों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व का वैश्विक परिदृश्य व्यापक रूप से भिन्न है। भारत ने 1952 में सार्वभौमिक मताधिकार प्रदान करने के बावजूद ऐतिहासिक रूप से महिला सांसदों की संख्या कम देखी है।

- 2023 में पारित 106वाँ संशोधन लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक तिहाई आरक्षण को अनिवार्य बनाता है, जिसका उद्देश्य शासन में लैंगिक समानता को बढ़ाना है।

# On political representation of women

Have women been fairly represented in Parliament in independent India? Should political parties provide internal reservations to increase womens' political participation? When will the 106th constitutional amendment be implemented?

EXPLAINER

Rangarajan. R

**The story so far:**

In the recently concluded general elections in the U.K., a record 263 women MPs (40%) have been elected to the House of Commons. The South African National Assembly has around 45% women representation, while the U.S. House of Representatives has 29%. Universal suffrage was achieved in various parts of the world after prolonged political movements. New Zealand as a self-governing unit under British rule was the first to grant universal women suffrage in 1893. The U.K., itself provided all its women the right to vote only in 1928. The U.S., granted equal voting rights through the nineteenth amendment only in 1920.

**What about women representatives in independent India?**

India as a sovereign republic provided the right to vote for all its women right from the first general elections in 1952. While the right to vote was provided to all women since the commencement of the Constitution, the representation of women in the Lok Sabha and State legislative assemblies has been far from satisfactory. The percentage of women MPs in the Lok Sabha had been very low between 5% and 10% till 2004. It rose marginally to 12% in 2014 and currently stands at 14% in the 18th Lok Sabha. The representation in State Legislative Assemblies is even poorer with the national average being around 9%.

The 73rd and 74th amendments of the Constitution in 1992/1993, provided for one-third reservation for women in panchayats and municipalities. However, attempts between 1996 and 2008 to provide similar reservation in the Lok Sabha and assemblies were unsuccessful.

**How do women MPs fare worldwide?**

Women representation in parliament varies across different democracies. It is a perennial issue to promote higher representation for women who constitute half the population in all countries. The important methods used across the world to ensure higher representation of women are (a) voluntary or legislated compulsory quotas for candidates within political parties and (b) quota in parliament through reservation of seats. Quotas within political parties provide more democratic choice to voters and allows flexibility to parties in choosing women candidates. Opponents of having a reserved quota in parliament for women argue that it would be seen as women not competing on merit. As the seats reserved for women would be rotated after each delimitation, it may also reduce the incentive for MPs to work hard to nurture their constituencies. The table above provides a snapshot of women's representation in some democracies across the world. As can be seen, countries like Bangladesh and Pakistan that have quotas in parliament fare poorer than countries with political party quotas.

**Long fight:** From a protest march demanding the women's Reservation Bill in 2016. FILE PHOTO

### Country wise data on women representation*

Women representation in parliament varies across different democracies

**Moving forward:** Trinamool Congress MPs take selfies at the Parliament House complex during the first session of the 18th Lok Sabha, on June 25. PTI

| Country | % of elected women | Quota in Parliament | Quota in political parties |
|---|---|---|---|
| Sweden | 46% | No | Yes |
| South Africa | 45% | No | Yes |
| Australia | 38% | No | Yes |
| France | 38% | No | Yes |
| Germany | 35% | No | Yes |
| U.K. | 40% | No | Yes |
| U.S. | 29% | No | No |
| Pakistan | 16% | Yes | No |
| Bangladesh | 20% | Yes | No |

*(as of September 2023) | Source: PRS legislative research

**Voluntary or legislated quotas within political parties are unlikely to yield the desired representation in our country**

**What is the 106th amendment?**

As on April 2024, India ranks 143 in the list of countries in the 'Monthly ranking of women in national parliaments' published by the Inter-Parliamentary Union, a global organisation for national parliaments. The Trinamool Congress has the highest proportion of women MPs in the current Lok Sabha at 38%. The ruling Bharatiya Janata Party and principal Opposition Congress party have around 13% each. Naam Tamilar Katchi, a State party in Tamil Nadu, has been following a voluntary quota of 50% for women candidates in the last three general elections.

However, voluntary or legislated quotas within political parties are unlikely to yield the desired representation in our country. This is why the Parliament through the 106th constitutional amendment, in September 2023, provided for one-third reservation of seats for women in the Lok Sabha and State legislative assemblies. This would ensure a fair representation of women in legislatures that would increase gender sensitivity in parliamentary processes and legislation. It would also hopefully increase the number of women Ministers in the Centre and States.

This reservation shall come into effect based on the delimitation exercise after the relevant figures of the first Census conducted after the commencement of this act is published. Hence, the Census which is overdue since 2021 should be conducted without any further delay to ensure that this reservation is implemented starting with the general elections in 2029.

*Rangarajan. R is a former IAS officer and author of 'Polity Simplified'. He currently trains civil-service aspirants at 'Officers IAS Academy'. Views expressed are personal.*

### THE GIST

- India as a sovereign republic provided the right to vote for all its women right from the first general elections in 1952.
- The important methods used across the world to ensure higher representation of women are (a) voluntary or legislated compulsory quotas for candidates within political parties and (b) quota in parliament through reservation of seats.
- As on April 2024, India ranks 143 in the list of countries in the 'Monthly ranking of women in national parliaments' published by the Inter-Parliamentary Union, a global organisation for national parliaments.

## वैश्विक संसदों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व:

- संसदों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व का वैश्विक परिदृश्य लोकतंत्रों के बीच काफी भिन्न है।
- लैंगिक समानता के लिए महत्वपूर्ण सार्वभौमिक मताधिकार, न्यूजीलैंड (1893), यूनाइटेड किंगडम (1928) और संयुक्त राज्य अमेरिका (1920) जैसे देशों में चरणों में हासिल किया गया था।

**स्वतंत्र भारत में महिला सांसद:**

- भारत ने 1952 में अपने पहले आम चुनावों से महिलाओं को सार्वभौमिक मताधिकार प्रदान किया।
- इसके बावजूद, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व ऐतिहासिक रूप से कम रहा है, जो 2004 तक 5% से 10% के बीच था।
- 2014 में यह प्रतिशत मामूली रूप से बढ़कर 12% हो गया और वर्तमान में 18वीं लोकसभा में 14% है।
- राज्य विधानसभाओं में औसत प्रतिनिधित्व और भी कम यानी लगभग 9% है।
- 1992/1993 में 73वें और 74वें संशोधनों ने पंचायतों और नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए एक-तिहाई आरक्षण अनिवार्य कर दिया, फिर भी 1996 और 2008 के बीच लोकसभा और विधानसभाओं में आरक्षण के लिए इसी तरह के प्रयास असफल रहे।

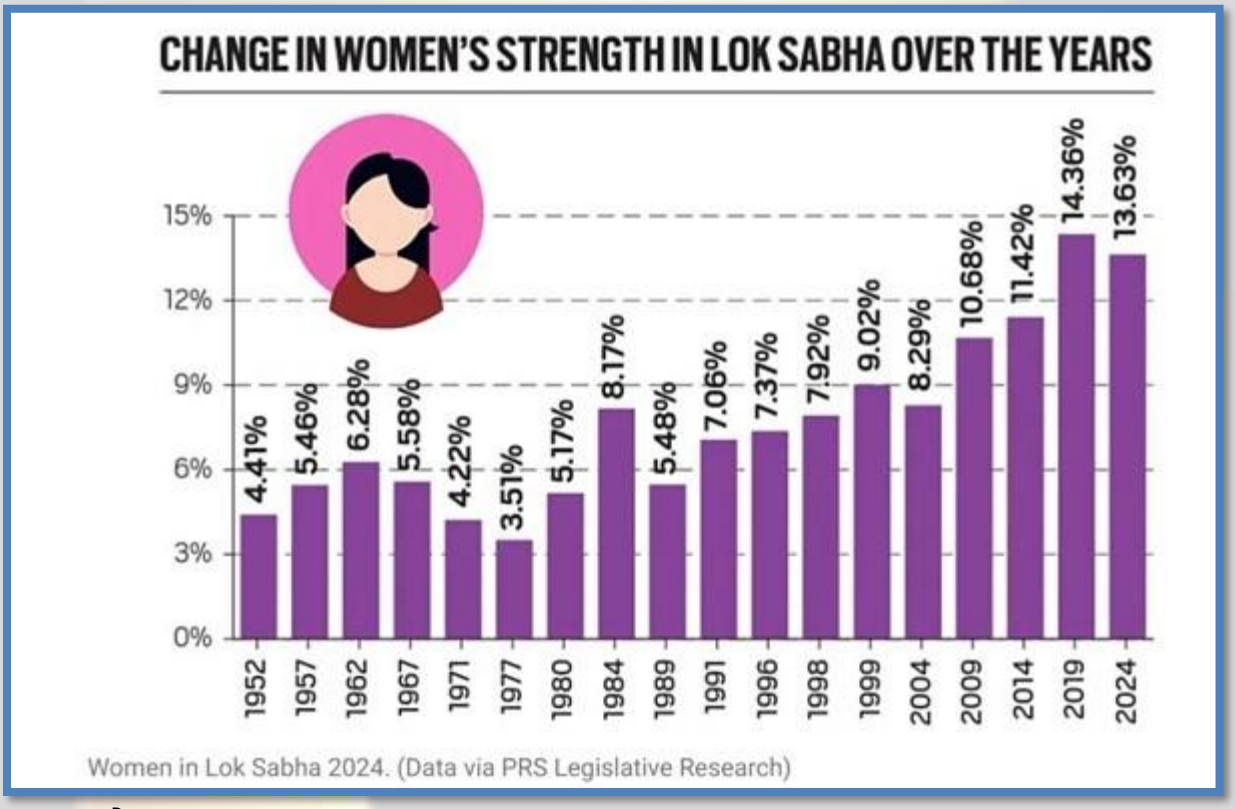

Women in Lok Sabha 2024. (Data via PRS Legislative Research)

**महिला सांसदों की वैश्विक तुलना:**

- विश्व स्तर पर, महिलाओं के लिए उच्च प्रतिनिधित्व को बढ़ावा देना एक चुनौती बनी हुई है, जबकि अधिकांश देशों में आधी आबादी महिलाओं की है।
- प्रभावी तरीकों में राजनीतिक दलों के भीतर स्वैच्छिक या विधायी अनिवार्य कोटा और संसदों में सीटों का प्रत्यक्ष आरक्षण शामिल है।
- बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे देश, जिनके संसद में कोटा है, अक्सर राजनीतिक दल कोटा वाले देशों की तुलना में खराब प्रदर्शन करते हैं।

**106वां संशोधन:**

- महिलाओं के बेहतर प्रतिनिधित्व की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए, 106वां संवैधानिक संशोधन सितंबर 2023 में पारित किया गया।
- इसमें लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक-तिहाई सीटों का आरक्षण अनिवार्य किया गया है।

- इस कदम का उद्देश्य निष्पक्ष प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना, विधायी प्रक्रियाओं में लैंगिक संवेदनशीलता बढ़ाना और संभावित रूप से महिला मंत्रियों की संख्या बढ़ाना है।
- संशोधन के लागू होने के बाद पहली जनगणना के बाद परिसीमन की प्रक्रिया पर क्रियान्वयन निर्भर करता है। 2029 के आम चुनावों में आरक्षण लागू हो, यह सुनिश्चित करने के लिए समय पर जनगणना बहुत ज़रूरी है।

**संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कम क्यों रहा?**

- **संस्थाओं की दुर्गमता:** चुनाव रिकॉर्ड बताते हैं कि ज़्यादातर राजनीतिक दल, अपने संविधान में महिलाओं को पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने का वचन देते हैं, लेकिन व्यवहार में महिला उम्मीदवारों को बहुत कम पार्टी टिकट देते हैं।
  - एक अध्ययन में पाया गया कि जिन महिलाओं को पार्टी टिकट मिलते हैं, उनमें से एक बड़ा हिस्सा पारिवारिक राजनीतिक संबंध रखता है या 'वंशवादी' राजनेता हैं। पहुँच के सामान्य मार्गों के सीमित होने के कारण, ऐसे संबंध अक्सर महिलाओं के लिए प्रवेश बिंदु बन जाते हैं।
- **महिलाओं के जीतने की संभावना कम होने की धारणा:** राजनीतिक हलकों में अभी भी यह व्यापक रूप से माना जाता है कि महिला उम्मीदवारों के पुरुषों की तुलना में चुनाव जीतने की संभावना कम होती है, जिसके कारण राजनीतिक दल उन्हें कम टिकट देते हैं।
- **चुनौतीपूर्ण संरचनात्मक स्थितियाँ:** भारत में चुनाव अभियान बेहद मांग वाले और समय लेने वाले होते हैं। पारिवारिक प्रतिबद्धताओं और बच्चों की देखभाल की ज़िम्मेदारियों के साथ महिला राजनेताओं को अक्सर पूरी तरह से भाग लेना मुश्किल लगता है।
- **अत्यधिक असुरक्षित:** महिला राजनेताओं को लगातार अपमान, अनुचित टिप्पणियों, दुर्व्यवहार और दुर्व्यवहार की धमकियों का सामना करना पड़ता है, जिससे भागीदारी और चुनाव लड़ना बेहद चुनौतीपूर्ण हो जाता है।
- **महंगी चुनावी प्रणाली**: वित्तपोषण भी एक बाधा है क्योंकि कई महिलाएँ आर्थिक रूप से अपने परिवारों पर निर्भर होती हैं। संसदीय चुनाव लड़ना बेहद महंगा हो सकता है, और एक कठिन प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए भारी वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता होती है।
  - अपनी पार्टियों से पर्याप्त समर्थन न मिलने पर, महिला उम्मीदवारों को अपने अभियान के वित्तपोषण की व्यवस्था खुद करने के लिए मजबूर होना पड़ता है, यह एक बड़ी चुनौती है जो उनकी भागीदारी को रोकती है।
- **आंतरिक पितृसत्ता:** एक घटना जिसे 'आंतरिक पितृसत्ता' के रूप में जाना जाता है, जहाँ कई महिलाएँ राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं पर परिवार और घर को प्राथमिकता देना अपना कर्तव्य समझती हैं।

**निष्कर्ष:**

- 106वाँ संशोधन भारतीय विधायिकाओं में लैंगिक समानता प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। कोटा को संस्थागत बनाकर, भारत ऐतिहासिक रूप से कम प्रतिनिधित्व को संबोधित करना और शासन में समावेशिता को बढ़ाना चाहता है।

## UPSC Mains PYQ

**Ques: महिलाओं के नेतृत्व गुण किसी से छिपे नहीं हैं, इसलिए उन्हें राजनीतिक प्रतिनिधित्व का अवसर न देना घोर अन्याय है। टिप्पणी करें।**

## Page 12 : GS 2 : International Relations

भारत, अमेरिका के नेतृत्व में इंडो-पैसिफिक आर्थिक ढांचे के तहत स्वच्छ अर्थव्यवस्था और निष्पक्ष अर्थव्यवस्था समझौतों को अंतिम रूप देने के करीब है।

- ये समझौते ऊर्जा सुरक्षा, जलवायु लचीलापन, भ्रष्टाचार विरोधी और पारदर्शी कारोबारी माहौल पर केंद्रित हैं, जबकि भारत डिजिटल व्यापार और मानकों पर चिंताओं के कारण व्यापार स्तंभ में शामिल होने से हिचकिचा रहा है।

**समाचार के बारे में:**

- भारत, अमेरिका के नेतृत्व में इंडो-पैसिफिक आर्थिक ढांचे के तहत स्वच्छ अर्थव्यवस्था और निष्पक्ष अर्थव्यवस्था समझौतों को अंतिम रूप देने के करीब है। ये समझौते ऊर्जा सुरक्षा, जलवायु लचीलापन, भ्रष्टाचार विरोधी और पारदर्शी कारोबारी माहौल पर केंद्रित हैं।
- भारत को व्यापार स्तंभ पर चिंता है, खासकर डिजिटल अर्थव्यवस्था नियमों और श्रम/पर्यावरण मानकों के बारे में। वाणिज्य विभाग ने कैबिनेट नोट का मसौदा तैयार किया है, जिसमें अन्य मंत्रालय काफी हद तक सहमत हैं। चुनावों के कारण अनुमोदन से चूकने के बाद भारत का लक्ष्य हस्ताक्षर करने से पहले घरेलू मंजूरी हासिल करना है।
- IPEF का उद्देश्य आंशिक रूप से चीनी प्रभाव का मुकाबला करना है, जिसमें अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अन्य जैसे 14 सदस्य शामिल हैं। भारत सहित सभी सदस्यों ने आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। स्वच्छ अर्थव्यवस्था समझौते का लक्ष्य जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करना, स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना और जलवायु के अनुकूल प्रौद्योगिकियों के लिए निवेश आकर्षित करना है।
- निष्पक्ष अर्थव्यवस्था समझौते का उद्देश्य पारदर्शिता में सुधार, भ्रष्टाचार का मुकाबला करना और कर सहयोग को बढ़ावा देकर व्यापार और निवेश को बढ़ाना है। डिजिटल व्यापार को छोड़कर व्यापार स्तंभ पर बातचीत रुकी हुई है क्योंकि अमेरिका ने अपना ध्यान केंद्रित किया है।

# IPEF: India likely to sign clean, fair economy pacts

**Amiti Sen**
NEW DELHI

India is likely to soon be able to sign the clean economy and fair economy agreements under the U.S.-led Indo Pacific Economic Framework for Prosperity (IPEF) as the Cabinet notes on the pacts are in an advanced stage of finalisation, official sources said.

The country, however, is not yet ready to join the trade pillar of IPEF as it continues to be uncomfortable with some of its components, such as framing of high-standard rules on digital economy, including cross-border data flows and data localisation, and labour and environment issues, the source added.

"The Cabinet notes on clean economy and fair economy pacts have almost been readied by the Commerce Department as other Ministries and Departments are largely on board on its contents.

"Since India is not set to take on heavy additional obligations by signing the two pacts, the domestic discussions are not complicated," an official told *businessline*.

India was the only country in the 14-member IPEF bloc that had not endorsed the clean economy and fair economy pacts at the Ministerial level meeting in Singapore held in June because of general elections. It had assured other members that it would get domestic clearances after a new government was in place.

### Countering China

In a move seen by many as an attempt to counter China's growing influence in the Indo-Pacific region, U.S. President Joe Biden unveiled the IPEF in Tokyo on May 23, 2022.

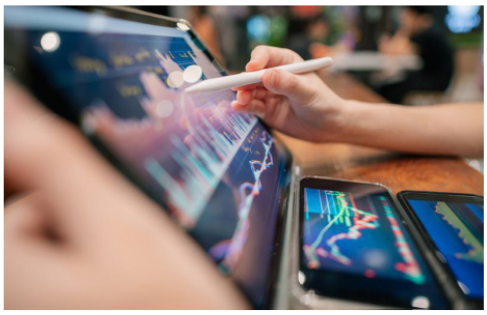

**Taking off:** All 14 IPEF members, including India, have signed the supply chains resilience agreement. GETTYIMAGES/ISTOCK

**'India hopes to attract investments and concessional financing for clean energy projects'**

The 14 members include the U.S., India, Australia, Brunei, Fiji, Indonesia, Japan, Korea, Malaysia, New Zealand, the Philippines, Singapore, Thailand and Vietnam.

### Four pillars

The IPEF framework is structured around the four pillars of trade, supply chains, clean energy and tax and anti-corruption, but there are no provisions on tariff cuts on goods.

All 14 IPEF members, including India, signed the supply chains resilience agreement which entered into force on February 24.

### Energy security

The clean economy pact focusses on energy security and transition, climate resilience and adaptation; GHG (greenhouse gas) emissions mitigation; find/develop innovative ways of reducing dependence on fossil fuel energy; promote technical cooperation, workforce development, capacity building, and research collaborations; and collaborate to facilitate development, access, and deployment of clean energy and climate-friendly technologies.

"India hopes to attract investments and concessional financing for its clean energy projects," the official said.

### 'More transparency'

The agreement on fair economy intends to create a more transparent and predictable business environment that can spur greater trade and investment in the markets of member countries; enhance efforts to prevent and combat corruption by strengthening anti-corruption frameworks, support efforts to improve tax transparency and exchange of information for tax purposes between competent authorities.

The pillar 1 of IPEF which deals with trade is nowhere near finalisation as the U.S. does not seem to be interested any more in the chapter on digital trade. India had opted out of the negotiations on trade pillar right at the beginning.

*(The writer is with The Hindu businessline)*

**समृद्धि के लिए इंडो-पैसिफिक आर्थिक ढांचा (IPEF):**

- समृद्धि के लिए इंडो-पैसिफिक आर्थिक ढांचा (IPEF) आर्थिक सहयोग और लचीलापन बढ़ाने के लिए मई 2022 में शुरू की गई एक अमेरिकी नेतृत्व वाली पहल है।
- **इसमें 14 देश शामिल हैं:** संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, फिजी, भारत, इंडोनेशिया, जापान, मलेशिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, थाईलैंड और वियतनाम।
- **आईपीईएफ चार प्रमुख स्तंभों पर ध्यान केंद्रित करता है:** व्यापार, आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन, स्वच्छ ऊर्जा और डीकार्बोनाइजेशन, तथा कर और भ्रष्टाचार विरोधी उपाय।
- इसका उद्देश्य सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, व्यापार मानकों में सुधार करना और क्षेत्र में चीन के प्रभाव को संतुलित करते हुए एक स्वतंत्र और खुला हिंद-प्रशांत क्षेत्र सुनिश्चित करना है।

## UPSC Mains PYQ : 2019

**Ques : 'भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच संबंधों में टकराव का कारण यह है कि वाशिंगटन अभी भी अपनी वैश्विक रणनीति में भारत के लिए ऐसा स्थान नहीं ढूंढ पाया है, जो भारत के राष्ट्रीय आत्मसम्मान और महत्वाकांक्षाओं को संतुष्ट कर सके।' उपयुक्त उदाहरणों के साथ समझाइए।**

# River In News : Tizu River

केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री ने हाल ही में घोषणा की कि मंत्रालय ने माल और यात्रियों के परिवहन के लिए तिजु जुनकी नदी पर राष्ट्रीय जलमार्ग-101 का उपयोग करने के लिए व्यवहार्यता अध्ययन करने का निर्णय लिया है।

**तिजु नदी:**

- नागालैंड में चार मुख्य नदियाँ हैं, जिनके नाम हैं, दोयांग, धनसिरी, धिकू और तिजु।
- पहली तीन नदियाँ असम के मैदानों से पश्चिम की ओर बहकर ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती हैं, जबकि तिजु नदी प्रणाली पूर्व और दक्षिण-पूर्व की ओर बहती है और म्यांमार में इरावदी नदी में मिल जाती है।
- तिजु नदी नागालैंड के पूर्वी भाग में एक महत्वपूर्ण जल निकासी प्रणाली बनाती है।
- यह नागालैंड राज्य के मध्य भाग से निकलती है और उत्तर-पूर्व दिशा से होकर किफिर और फेक जिलों से होकर म्यांमार की चिंदविन नदी में मिल जाती है।
- चिंदविन नदी आगे चलकर म्यांमार की सबसे बड़ी नदी इरावदी नदी में मिल जाती है।
- इरावदी नदी मांडले जैसे नदी बंदरगाहों से होकर इरावदी डेल्टा के माध्यम से अंडमान सागर में मिल जाती है।
- तिजु नदी की मुख्य सहायक नदियाँ जुंगकी, लान्ये और लिकिमरो नदियाँ हैं।
- जुंगकी नदी, जो तिजु की सबसे बड़ी सहायक नदी है, टेकू के दक्षिण में चांगडोंग वन के उत्तर-पूर्वी भाग से शुरू होती है, और नोकलाक, शमटोर और किफिर की ओर दक्षिणी दिशा में बहती है, और अंत में किफिर के नीचे तिजु में मिलती है।

**राष्ट्रीय जलमार्ग 101 के बारे में:**

- प्रस्तावित तिजु-जुंगकी जलमार्ग, या NW 101, नागालैंड को म्यांमार की चिंदविन नदी और उससे आगे जोड़ेगा।
- नागालैंड की तरफ, यह किफिर में लोंगमात्रा से शुरू होकर फेक के मेलुरी उप-विभाग में अवंगखु तक लगभग 42 किलोमीटर तक चलेगा।
- अवंगखु से, यह चिंदविन से जुड़ेगा और म्यांमार के तमंथी बंदरगाह तक लगभग 117 किलोमीटर की दूरी तय करेगा।

## UPSC Prelims PYQ : 2021

**Ques : सिंधु नदी प्रणाली के संदर्भ में, निम्नलिखित चार नदियों में से तीन एक में मिलती हैं जो सीधे सिंधु में मिलती है। निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी नदी है जो सीधे सिंधु में मिलती है?**

**a) चिनाब**

**b) झेलम**

**c) रावी**

**d) सतलुज**

**Ans : d)**

# Intergenerational equity as tax devolution criterion

**S. Raja Sethu Durai**

Professor of Economics, University of Hyderabad

**R. Srinivasan**

Member, Tamil Nadu State Planning Commission

The devolution of Union tax revenue to States is a topic that has been in discussion in the political sphere in recent times. However, it is an evergreen subject of discussion for economists. One of the points in this discussion is the factors in the horizontal distribution of States' share in Union tax revenue among States. The Finance Commission (FC) decides the horizontal distribution formula once every five years. Despite repeated quinquennial revisits to this distribution formula, conceptually, it is predictable that equity is prioritised over efficiency. Equity in the distribution formula is about intragenerational equity, that is, to redistribute tax revenue among States. The undesirable consequence of this is the accentuation of intergenerational inequity within States. The argument is that intergenerational equity should be a factor in India's horizontal distribution formula for tax devolution.

**Intergenerational fiscal equity**

In general, intergenerational equity is the principle of providing equal opportunities and outcomes to every generation. Intergenerational equity ensures that the decisions or actions of current generations should not burden the future generation. From a public finance point of view, it refers to a situation where every generation pays for the public services it receives and does not burden the future generation through borrowings.

For any government, there are only two ways to raise its revenue: tax or borrowing. If, in a period, the tax revenue equals the current expenditure of the government, then the current taxpayers pay for the public services they receive. If the government finances the current expenditure through borrowings, it means the future generation is going to pay higher taxes to repay this borrowing and interest. In other words, borrowing to meet the current expenditure of the government amounts to intergenerational inequity.

There is an argument in fiscal economics called Ricardian Equivalence Theory that whenever the government resorts to borrowing to finance current expenditure, households react through higher savings and thus enable the future generation to pay higher taxes as well as keep aggregate demand in the economy constant over different periods. This theory assumes that the current generation pays tax less than the value of the current public services it receives, and thus saves. Whereas in our present federal situation this is not the case. Households in developed States pay taxes that are not entirely used within the specific States, thus compelling such States to borrow more or curtail current expenditure. On the contrary, households in developing States pay taxes much less than the value of current expenditure and fill the gap by receiving higher financial transfers from the Union government.

The Finance Commission needs to have a relook at the indicators in rewarding State fiscal efficiency

**Versus intragenerational equity**

To give the broader picture, let us divide some of the major States into high-income and low-income – Tamil Nadu, Kerala, Karnataka, Maharashtra, Gujarat, and Haryana as high-income States and Bihar, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Rajasthan, Odisha and Jharkhand as low-income States. Let us analyse only the 14th FC period (2015-20). The own tax revenue financed up to 59.3% of revenue expenditure in high-income States, while in low-income States, their own tax revenue was financing only 35.9%. The Revenue Expenditure to GSDP ratio for high-income States was 10.9%, which is lower than the similar ratio of 18.3% for low-income States. Thus, while high-income States curtailed their revenue expenditure and began financing a substantial part of it through their own tax revenues, the low-income States not only had higher Revenue Expenditure to GSDP but also financed only a smaller portion of it through their own tax revenues. Nearly 57.7% of revenue expenditure in low-income States was financed by Union financial transfers, and only 27.6% of revenue expenditure was financed by Union financial transfers in high-income States.

We can see three aspects of federal finances. First, low-income States finance a smaller portion of their revenue expenditure with their own tax revenue and also receive larger amounts of Union financial transfers. Second, high-income States finance a substantial portion of their revenue expenditure with their own tax revenue but receive too little Union financial transfers. Third, we can also deduce that the high-income States had to incur a deficit of 13.1%, and the low-income States ended up with a deficit of only 6.4% of revenue expenditure. Thus, the high-income States raise higher amounts of their own tax revenue and curtail their own revenue expenditure, yet incur higher deficits because of lower Union financial transfers compared to low-income States.

People of a State know the level of direct and indirect taxes they pay and expect an equivalent value of services from the government. So, the public services provided to the people of a State by both the State and the Union government should match this expectation. Any other fiscal behaviour would only result in burdening the high-income States with higher tax payments for both present and future generations. We understand the need for intragenerational equity across States in a federal system as it provides a larger unified market for everyone. Balancing both intragenerational and intergenerational equity is important, and it reiterates the need to balance equity and efficiency in the distribution formula for tax devolution to States. This squarely falls under the purview of the FC to have a fair mechanism to address the conflicting equity issues

**Address conflicting equities**

Usually, FCs use indicators such as per capita income, population, and area in the distribution formula. These indicators reflect the differences between States in terms of demand for public services (population and area) and the size of public revenue available (per capita income). These indicators carry a larger weight and assure equity in the distribution of Union financial transfers among States. Variables such as tax effort and fiscal discipline carry smaller weight in the distribution formula to reward the fiscal efficiency of States.

You may find that the equity variables are proxy variables, and that they do not reflect the actual fiscal situations in States. The efficiency indicators are fiscal variables from the State budget. The Union financial transfers make an impact only on the Budget and alter the fiscal behaviour of States. Therefore, it is appropriate to include more fiscal variables in the tax devolution criterion such that the Union financial transfers change the fiscal behaviour of the States in the desired direction.

Every State has a Fiscal Responsibility Act restricting the quantum of deficit and public debt. However, reduced Union financial transfers to some States compel them to breach this legal limit. Therefore, the FC should assign a larger weight to fiscal indicators and incentivise tax effort and expenditure efficiency through larger Union financial transfers. This will automatically ensure intergenerational fiscal equity and sustainable debt management by States.

**GS Paper 03 : भारतीय अर्थव्यवस्था - संसाधनों के जुटाने से संबंधित मुद्दे**

**PYQ: (UPSC CSE (M) GS-2 2021) भारत के 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों ने राज्यों को अपनी राजकोषीय स्थिति में सुधार करने में कैसे सक्षम बनाया है? (150 words/10m)**

**Practice Question उच्च आय बनाम निम्न आय वाले राज्यों में अंतर-पीढ़ीगत इक्विटी और राजकोषीय स्थिरता पर केंद्रीय कर राजस्व के वित्त आयोग के क्षैतिज वितरण के निहितार्थों पर चर्चा करें।**

**(150 w/10m)**

## संदर्भ

- वित्त आयोग हर पाँच साल में संघ के कर राजस्व के क्षैतिज वितरण की समीक्षा करता है, जिसमें अंतर-पीढ़ीगत समानता को प्राथमिकता दी जाती है, जिससे अंतर-पीढ़ीगत असमानता हो सकती है।
- उच्च आय वाले राज्य अपने व्यय का ज़्यादातर हिस्सा अपने कर राजस्व से वित्तपोषित करते हैं, लेकिन उन्हें संघ से कम हस्तांतरण प्राप्त होते हैं, जबकि कम आय वाले राज्य संघ के वित्तीय हस्तांतरण पर बहुत ज़्यादा निर्भर करते हैं।

## परिचय:

- राज्यों को संघ के कर राजस्व का वितरण राजनीतिक और आर्थिक चर्चाओं में एक महत्वपूर्ण विषय है।
- वित्त आयोग (FC) हर पाँच साल में क्षैतिज वितरण फ़ॉर्मूले की समीक्षा करता है, जिसमें दक्षता पर समानता को प्राथमिकता दी जाती है।
- इस संदर्भ में समानता का मतलब अंतर-पीढ़ीगत समानता से है, जिसका उद्देश्य राज्यों के बीच कर राजस्व का पुनर्वितरण करना है।
- इस दृष्टिकोण से राज्यों के भीतर अंतर-पीढ़ीगत असमानता हो सकती है।

## अंतर-पीढ़ीगत राजकोषीय समानता

- अंतर-पीढ़ीगत समानता सभी पीढ़ियों के लिए समान अवसर और परिणाम सुनिश्चित करती है।
- इसका तात्पर्य है कि वर्तमान पीढ़ियों को भविष्य की पीढ़ियों पर ऋण का बोझ नहीं डालना चाहिए।
- सरकारें करों या उधार के माध्यम से राजस्व जुटा सकती हैं; वर्तमान व्यय को वित्तपोषित करने के लिए उधार लेने से भविष्य में कर का बोझ पड़ता है, जिससे अंतर-पीढ़ीगत असमानता होती है।
- रिकार्डियन समतुल्यता सिद्धांत बताता है कि जब सरकार उधार लेती है तो परिवार अधिक बचत करते हैं, लेकिन यह भारत के संघीय संदर्भ में सही नहीं है।

## क्षैतिज वितरण सूत्र और अंतर-पीढ़ीगत समानता

- तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात और हरियाणा जैसे उच्च आय वाले राज्य महत्वपूर्ण कर राजस्व जुटाते हैं और अपने व्यय का वित्तपोषण करते हैं, जबकि बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ओडिशा और झारखंड जैसे कम आय वाले राज्य संघ के हस्तांतरण पर अधिक निर्भर करते हैं।
- 14वें वित्तीय आयोग की अवधि (2015-2020) के दौरान, उच्च आय वाले राज्यों ने अपने राजस्व व्यय का 59.3% अपने स्वयं के कर राजस्व के माध्यम से वित्तपोषित किया, जबकि निम्न आय वाले राज्यों में यह 35.9% था।
- निम्न आय वाले राज्यों को अपने राजस्व व्यय का 57.7% संघ के हस्तांतरण से प्राप्त हुआ, जबकि उच्च आय वाले राज्यों को केवल 27.6% प्राप्त हुआ।

## संघीय वित्त पहलू

- निम्न आय वाले राज्य अपने व्यय का कम हिस्सा अपने स्वयं के कर राजस्व के माध्यम से वित्तपोषित करते हैं और संघ के हस्तांतरण पर बहुत अधिक निर्भर करते हैं।
- उच्च आय वाले राज्य अपने व्यय का ज़्यादातर हिस्सा अपने कर राजस्व के ज़रिए पूरा करते हैं, लेकिन उन्हें संघ से कम हस्तांतरण मिलता है।
- उच्च आय वाले राज्यों में संघ से कम हस्तांतरण के कारण घाटा ज़्यादा होता है, जबकि कम आय वाले राज्यों में घाटा कम होता है।

## सार्वजनिक अपेक्षाएँ और राजकोषीय व्यवहार

- नागरिकों को उम्मीद है कि सार्वजनिक सेवाएँ उनके द्वारा चुकाए जाने वाले करों से मेल खाएँगी, चाहे वे राज्य या संघ सरकार की सेवाओं के ज़रिए हों।
- राजकोषीय व्यवहार में विसंगतियाँ उच्च आय वाले राज्यों पर वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों दोनों के लिए ज़्यादा कर भुगतान का बोझ डाल सकती हैं।
- अंतर-पीढ़ीगत और अंतर-पीढ़ीगत इक्विटी को संतुलित करना महत्वपूर्ण है, जिसके लिए कर हस्तांतरण में इक्विटी और दक्षता के बीच संतुलन की आवश्यकता होती है।

## विरोधी इक्विटी को संबोधित करना

- वित्तीय आयोग आम तौर पर वितरण सूत्र में प्रति व्यक्ति आय, जनसंख्या और क्षेत्र जैसे संकेतकों का उपयोग करता है, जो सार्वजनिक सेवाओं और उपलब्ध सार्वजनिक राजस्व की मांग को दर्शाता है।
- ये इक्विटी संकेतक कर प्रयास और राजकोषीय अनुशासन जैसे दक्षता संकेतकों की तुलना में अधिक वज़न रखते हैं।
- राज्य बजट पर आधारित दक्षता संकेतकों को राजकोषीय व्यवहार को सकारात्मक रूप से प्रभावित करने के लिए अधिक वज़न दिया जाना चाहिए।

## राजकोषीय उत्तरदायित्व और प्रोत्साहन दक्षता

- राज्यों के पास राजकोषीय उत्तरदायित्व अधिनियम हैं जो घाटे और सार्वजनिक ऋण को सीमित करते हैं।

- संघीय हस्तांतरण में कमी कुछ राज्यों को इन सीमाओं का उल्लंघन करने के लिए बाध्य कर सकती है।
- वित्तीय आयोग को राजकोषीय संकेतकों को अधिक महत्व देना चाहिए, जिससे बड़े संघ हस्तांतरण के माध्यम से कर प्रयास और व्यय दक्षता को प्रोत्साहन मिले।
- यह दृष्टिकोण राज्यों द्वारा अंतर-पीढ़ीगत राजकोषीय इक्विटी और संधारणीय ऋण प्रबंधन सुनिश्चित करेगा।

**निष्कर्ष: इक्विटी और दक्षता को संतुलित करना**

- वित्तीय आयोग की भूमिका कर हस्तांतरण के लिए वितरण सूत्र में इक्विटी और दक्षता को संतुलित करना है।
- इस संतुलन को परस्पर विरोधी इक्विटी मुद्दों को संबोधित करना चाहिए और राजकोषीय अनुशासन और स्थिरता को बढ़ावा देना चाहिए।
- वितरण सूत्र में राजकोषीय संकेतकों का उचित कार्यान्वयन राज्यों के राजकोषीय व्यवहार को सकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है, जिससे अंतर-पीढ़ीगत और अंतर-पीढ़ीगत इक्विटी दोनों सुनिश्चित हो सकती है।

## भारत का वित्त आयोग

- भारत के संविधान का अनुच्छेद 280 एक वित्त आयोग, एक अर्ध-न्यायिक निकाय प्रदान करता है जो उन सिद्धांतों की सिफारिश करता है जिनके द्वारा भारत के राजकोषीय संघीय ढांचे में राजकोषीय क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर संतुलन बनाए रखा जा सकता है।
- अनुच्छेद 270 राज्यों के साथ केंद्रीय करों में से एक हिस्सा साझा करने का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 275 में सहायता के लिए वैधानिक अनुदान और अनुच्छेद 282 में राज्यों के लिए विवेकाधीन अनुदान का प्रावधान है। राज्यों को ये अनुदान प्रदान किए जा सकने वाले उचित सिद्धांतों को तैयार करने के लिए भारतीय राजनीति में वित्त आयोग की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है।
- केंद्र को राज्यों के साथ करों को साझा करने की आवश्यकता क्यों है? संघवाद में ऊर्ध्वाधर संतुलन की आवश्यकता: भारतीय संविधान के संघीय राजनीतिक ढांचे में, केंद्र के पक्ष में प्रवृत्ति है। राजकोषीय मामलों में, केंद्र राज्यों की तुलना में बहुत मजबूत है क्योंकि राजस्व-उत्पादक कर, जैसे आयकर, कॉर्पोरेट कर और जीएसटी का आधा हिस्सा संघ को जाता है।

**संघ, राज्य और स्थानीय निकायों द्वारा लगाए गए कुछ कर**

| संघ | राज्य | स्थानीय निकाय |
|---|---|---|
| आयकर | राज्य जीएसटी | भूमि और भवन पर कर |
| निगम कर | बिजली पर कर | वाहन कर |
| केंद्रीय जीएसटी | शराब पर उत्पाद शुल्क | टोल |

| सीमा शुल्क | स्टाम्प शुल्क | मनोरंजन कर |
|---|---|---|

- इस प्रकार, संविधान निर्माताओं ने अनुच्छेद 270 के तहत संघ को अपने कर राजस्व का एक हिस्सा राज्यों के साथ साझा करने के लिए एक संवैधानिक प्रावधान बनाने की आवश्यकता महसूस की। इस संदर्भ में, अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग बनाया गया है।
- वित्त आयोग केंद्र और राज्यों के बीच सामूहिक रूप से शुद्ध कर आय को वितरित करने के लिए एक सूत्र तैयार करता है; इसे ऊर्ध्वाधर संतुलन कहा जाता है।

**संघवाद में क्षैतिज संतुलन की आवश्यकता:**

- वित्त आयोग यह भी बताता है कि क्षैतिज संतुलन बनाए रखने के लिए विभिन्न राज्यों के बीच करों को कैसे वितरित किया जाना चाहिए।
- विशाल क्षेत्रीय असमानताओं (जैसे हिमालयी राज्यों) के कारण, कुछ राज्य अन्य बेहतर स्थिति वाले राज्यों की तुलना में पर्याप्त संसाधन नहीं जुटा पाते हैं।
- समानता बनाए रखने के लिए, वित्त आयोग विशेष निधियों की सिफारिश करता है जिन्हें केंद्र के करों के पूल से तुलनात्मक रूप से वंचित राज्यों के साथ साझा किया जा सकता है।

**भारत में वित्त आयोग की संरचना:**

- अनुच्छेद 280 में उल्लेख किया गया है कि राष्ट्रपति द्वारा एक आदेश के माध्यम से हर पाँच साल या उससे पहले एक वित्त आयोग की स्थापना की जानी चाहिए।
- **नियुक्ति और निष्कासन:** चूंकि, राष्ट्रपति पांच साल से पहले किसी भी समय वित्त आयोग की नियुक्ति कर सकते हैं, इसलिए इसकी नियुक्ति और निष्कासन राष्ट्रपति (यानी सरकार) के विवेक पर निर्भर करता है।
  - वित्त आयोग में अध्यक्ष और चार अन्य सदस्य होते हैं।
  - कार्यकाल और वेतन राष्ट्रपति के आदेश से तय होते हैं। आम तौर पर सरकार वित्त आयोग की नियुक्ति करती है और उसे अपनी सिफारिशें देने के लिए मार्गदर्शक सिद्धांतों के रूप में कार्य करने के लिए संदर्भ दस्तावेज़ प्रदान करती है।
  - आयोग तब देश के राजकोषीय संतुलन का अध्ययन करता है और एक रिपोर्ट के माध्यम से अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करता है, जिसे फिर संसद के समक्ष रखा जाता है।
- वित्त आयोग के कार्य संविधान वित्त आयोग को भारत के राष्ट्रपति को निम्नलिखित सिफारिशें करने के लिए बाध्य करता है:
  - राज्यों और केंद्र के बीच साझा किए जाने वाले करों की शुद्ध आय का विभाजन और राज्यों के बीच इसका आवंटन।
  - वे सिद्धांत जिनके तहत राज्यों को केंद्र द्वारा (यानी भारत के समेकित कोष से) अनुदान दिया जाना चाहिए।

- राज्य वित्त आयोग (एसएफसी) द्वारा जारी की गई सिफारिशों के आधार पर राज्य में पंचायतों और नगर पालिकाओं के संसाधनों के पूरक के लिए राज्य के समेकित कोष को बढ़ाने के उपाय।
- कोई अन्य मुद्दा जिसे राष्ट्रपति सुदृढ़ वित्त के हित में संदर्भित करते हैं।

**वित्त आयोग के लिए चुनौतियाँ**

- **नियुक्ति से संबंधित मुद्दा:** केंद्र द्वारा वित्त आयोग के सदस्यों के चयन की राज्यों द्वारा संघवाद के सिद्धांत के विरुद्ध आलोचना की गई है।
- **राज्यों के साथ कम परामर्श:** संदर्भ की शर्तें आम तौर पर राज्यों के परामर्श के बिना तैयार की जाती हैं।
  - उदाहरण के लिए- 14वें वित्त आयोग ने राज्यों के बीच करों के क्षैतिज वितरण के लिए 1971 की जनगणना के फार्मूले का उपयोग किया था।
  - हालाँकि, 15वें वित्त आयोग को 2011 की जनगणना के आंकड़ों का उपयोग करने का आदेश दिया गया था, जिस पर दक्षिणी राज्यों ने आपत्ति जताई थी।

**परिचालन संबंधी मुद्दे:**

- **आंकड़ों की गुणवत्ता** - वित्त आयोग अपनी सिफारिशें तैयार करने के लिए सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों पर निर्भर करता है। कई बार, ये आंकड़े पुराने, असंगत और अधूरे होते हैं, जिससे गुणवत्ता संबंधी गंभीर मुद्दे पैदा होते हैं।
- **प्रतिस्पर्धी मांगें** - सरकार के तीनों स्तरों के हितों को व्यापक रूप से संतुलित करना और मांगों को समायोजित करना एक चुनौती है।

**कार्यान्वयन से जुड़ी समस्याएँ:**

- **कार्यान्वयन पर कोई नियंत्रण नहीं** - वित्त आयोग का इस बात पर कोई सीधा नियंत्रण नहीं है कि उसकी सिफारिशों को कैसे क्रियान्वित या मॉनिटर किया जाता है।
  - उन्हें गैर-अनुपालन, दुरुपयोग या धन के विचलन जैसी समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है।
- **सिफारिशों को स्वीकार न करना** - वित्त आयोग एक सलाहकार निकाय है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार आयोग की महत्वपूर्ण सिफारिशों को स्वीकार न करने का विकल्प चुन सकती हैं।
- **खराब समन्वय** - संघ और राज्यों के बीच समन्वय की कमी या असहमति सुधारों के कार्यान्वयन को प्रभावित कर सकती है।
- **शर्तों के आधार पर अनुदान** - राज्यों द्वारा पूरी की गई शर्तों के आधार पर कुछ अनुदान प्रदान किए जाएंगे। उन शर्तों को पूरा करने और अनुदान प्राप्त करने के लिए, राज्य सरकारें ज़रूरत से ज़्यादा बेतहाशा धन या कम धन खर्च कर सकती हैं, जिससे नीतियों/योजनाओं के कार्यान्वयन में बाधाएँ पैदा हो सकती हैं।
- **केंद्र सरकार का बढ़ता कर्ज** - वैश्विक मंदी की पृष्ठभूमि में बढ़ता कर्ज राज्यों को करों के हस्तांतरण के लिए आयोग की सिफारिश को स्वीकार करने के संबंध में गंभीर चिंता का विषय है।

- **करों का बढ़ता अविभाज्य पूल** - राज्यों के बीच चिंता बढ़ रही है क्योंकि केंद्र सरकार उपकर और अधिभार बढ़ा रही है, जिसे राज्यों के साथ साझा नहीं किया जाता है, जिससे उनके राजस्व पर असर पड़ता है।
- **जीएसटी परिषद का कामकाज** - जीएसटी परिषद द्वारा लिए गए निर्णय वित्त आयोग द्वारा किए गए राजस्व अनुमानों और गणनाओं को प्रभावित कर सकते हैं जो बदले में राज्यों को साझा करने के लिए उपलब्ध वित्तीय संसाधनों को प्रभावित कर सकते हैं।
- **निधियों की अपर्याप्तता** - ऐसी संभावना है कि विशिष्ट सुधारों के लिए आवंटित निधियाँ पर्याप्त न हों, जिसके परिणामस्वरूप खराब कार्यान्वयन हो सकता है क्योंकि वित्तीय बाधाएँ संसाधनों की उपलब्धता को सीमित कर सकती हैं।
- चौथे वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉ. पी.वी. राजमन्नार ने इस बात पर प्रकाश डाला कि कैसे वित्त आयोग और पूर्ववर्ती योजना आयोग के कार्य और जिम्मेदारियाँ समान थीं, लेकिन एक-दूसरे से ओवरलैप होती थीं।

**सोलहवें वित्त आयोग (XVIFC) के लिए संदर्भ की शर्तें (ToR):**

- सोलहवें वित्त आयोग (XVIFC) के लिए संदर्भ की शर्तें (ToR) इसके दायरे और जिम्मेदारियों को रेखांकित करती हैं।
- इसमें संघ और राज्यों के बीच शुद्ध कर आय का वितरण और संविधान के अध्याय I, भाग XII के तहत राज्यों के बीच शेयर आवंटित करना शामिल है।
- XVIFC भारत के समेकित कोष से राज्यों को अनुदान सहायता के लिए सिद्धांत और निर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए अनुच्छेद 275 के तहत राशि निर्धारित करता है।
- यह राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर पंचायतों और नगर पालिकाओं का समर्थन करने के लिए राज्य समेकित निधि को बढ़ाने के उपाय भी सुझाता है।
- इसके अतिरिक्त, आयोग आपदा प्रबंधन पहलों के लिए वित्तपोषण व्यवस्था की समीक्षा करता है, तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत सिफारिशें करता है। XVIFC की रिपोर्ट 31 अक्टूबर, 2025 तक आने की उम्मीद है, जिसमें 1 अप्रैल, 2026 से पांच साल की अवधि शामिल होगी।

# Mapping : ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली

## प्रायद्वीपीय नदी - विकास

- सुदूर अतीत में तीन महत्वपूर्ण भूगर्भीय घटनाओं ने प्रायद्वीपीय भारत के वर्तमान जल निकासी नेटवर्क को आकार दिया।
- प्रारंभिक तृतीयक युग के दौरान, प्रायद्वीप का पश्चिमी किनारा डूबने लगा, जिसके परिणामस्वरूप यह समुद्र के नीचे डूब गया।
- सामान्य तौर पर, इसने मूल जलग्रहण क्षेत्र के दोनों ओर नदी के सममित लेआउट को बाधित किया है।
- जब प्रायद्वीपीय खंड का उत्तरी किनारा अवतलन और गर्त दोष के अधीन था, तब हिमालय में उथल-पुथल हुई।
- नर्मदा और तापी नदियाँ दोषों के पार बहती हैं, मूल दरारों को तलछट से भर देती हैं।
- परिणामस्वरूप, इन नदियों में जलोढ़ और डेल्टाई जमा दुर्लभ हैं।
- उसी युग के दौरान, उत्तर-पश्चिम से दक्षिण-पूर्व की ओर प्रायद्वीपीय खंड का थोड़ा झुकाव पूरे जल निकासी तंत्र को बंगाल की खाड़ी की ओर उन्मुख करता है।

## नर्मदा नदी प्रणाली

- नर्मदा मध्य भारत में स्थित एक नदी है।

- यह मध्य प्रदेश राज्य में अमरकंटक पहाड़ी के शिखर तक पहुँचती है।
- यह उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच पारंपरिक सीमा को रेखांकित करती है।
- यह प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख नदियों में से एक है। केवल नर्मदा, ताप्ती और माही नदियाँ पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं।
- यह नदी मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों से होकर बहती है।
- यह गुजरात के भरूच जिले में अरब सागर में गिरती है।

**तापी नदी प्रणाली**

- यह एक मध्य भारतीय नदी है। यह पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदियों में से एक है।
- यह दक्षिणी मध्य प्रदेश राज्य के पूर्वी सतपुड़ा रेंज में उत्पन्न होती है।
- यह पश्चिम दिशा में बहती है, अरब सागर के खंभात की खाड़ी में गिरने से पहले दक्कन के पठार और दक्षिण गुजरात के उत्तर-पश्चिमी कोने में मध्य प्रदेश के निमाड़ क्षेत्र, पूर्वी विदर्भ क्षेत्र और महाराष्ट्र के खानदेश जैसे कुछ महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थानों को बहाती है।
- तापी नदी का नदी बेसिन ज्यादातर महाराष्ट्र राज्य के पूर्वी और उत्तरी जिलों में स्थित है।
- यह नदी मध्य प्रदेश और गुजरात के कुछ जिलों को भी कवर करती है।
- तापी नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ वाघुर नदी, अनेर नदी, गिरना नदी, पूर्णा नदी, पंजारा नदी और बोरी नदी हैं।

**गोदावरी नदी प्रणाली**

- गोदावरी नदी भूरे रंग के पानी वाली भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है।
- इस नदी को अक्सर दक्षिण (दक्षिण) गंगा या वृद्धि (पुरानी) गंगा के रूप में जाना जाता है।
- यह एक मौसमी नदी है, जो गर्मियों के दौरान सूख जाती है और मानसून के दौरान चौड़ी हो जाती है।
- यह नदी महाराष्ट्र में नासिक के पास त्र्यंबकेश्वर से निकलती है।
- यह मध्य प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा राज्यों से होकर दक्षिण-पूर्व में बहती है और बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है।
- यह नदी राजमुंदरी में एक उपजाऊ डेल्टा बनाती है।
- इस नदी के किनारों पर कई तीर्थ स्थल हैं, नासिक (MH), भद्राचलम (TS), और त्र्यंबक। इसकी कुछ सहायक नदियों में प्राणहिता (पेनुगंगा और वर्दा का संयोजन), इंद्रावती नदी, बिंदुसार, सबरी और मंजीरा शामिल हैं।
- एशिया का सबसे बड़ा रेल-सह-सड़क पुल जो कोव्वुर और राजमुंदरी को जोड़ता है, गोदावरी नदी पर स्थित है।

**कृष्णा नदी प्रणाली**

- कृष्णा भारत की सबसे लंबी नदियों में से एक है, जो महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती है।
- यह सांगली से होकर बहती है और बंगाल की खाड़ी में समुद्र में मिल जाती है।

- यह नदी महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्यों से होकर बहती है।
- तुंगभद्रा नदी इसकी मुख्य सहायक नदी है जो पश्चिमी घाट से निकलने वाली तुंगा और भद्रा नदियों से मिलकर बनी है।
- दूधगंगा नदियाँ, कोयना, भीमा, मल्लप्रभा, डिंडी, घाटप्रभा, वर्ना, येरला और संगीत कुछ अन्य सहायक नदियाँ हैं।

**कावेरी नदी प्रणाली**

- कावेरी को दक्षिण भारत की गंगा "दक्षिण भारत की गंगा" के रूप में भी जाना जाता है।
- यह पश्चिमी घाट में स्थित तालकावेरी से निकलती है।
- यह कर्नाटक के कोडागु जिले में एक प्रसिद्ध तीर्थ और पर्यटन स्थल है।
- नदी का उद्गम कर्नाटक राज्य के पश्चिमी घाट रेंज में है, और कर्नाटक से तमिलनाडु तक है।
- नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नदी कृषि के लिए सिंचाई का समर्थन करती है और इसे दक्षिण भारत के प्राचीन राज्यों और आधुनिक शहरों के समर्थन का साधन माना जाता है।
- नदी की कई सहायक नदियाँ हैं जिन्हें अर्कावती, शिमशा, हेमावती, कपिला, शिमशा, होन्नुहोल, अमरावती, लक्ष्मण कबीनी, लोकपावनी, भवानी, नोय्याल और तीर्थ कहा जाता है।

**महानदी नदी प्रणाली**

- महानदी मध्य भारत के सतपुड़ा रेंज से निकलती है और यह पूर्वी भारत की एक नदी है।
- यह पूर्व में बंगाल की खाड़ी में बहती है। नदी महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा राज्य में बहती है।
- सबसे बड़ा बांध, हीराकुंड बांध, नदी पर बनाया गया है।

---